| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज | नंबर व… जो… तामील… |
|---|---|---|

GCMS-2022/173
(मोहनलाल/गजानन्द व अन्य)

28/03/2025

वादी द्वारा जरिये वकिल प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारिख पेशी से पूर्व आज तलब की गई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वकुलाय उभयपक्ष की प्रकरण में बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष के निवेदन पर सगौर मनन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Veri…
Digitally signed by Raj…
Yadav
Date: 2025.05.07 12:41…
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

प्राथमिक डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

मोहनलाल बनाम गजानन्द वगै0
–वादी– –प्रतिवादी–

**मुकदमा नम्बर– 404/2022**
**दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) अधिकारी नीमकाथाना। व हाजरी श्री रोशनलाल अग्रवाल एडवोकेट– वादी मिनजानिब श्री सुरजभान पूनियां प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है डिकरी दी जाती है कि **दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है निर्णय 28.05.2024 डिक्री का भाग समझा जावे।**

..........×..........मुबलिग..........×..........बाबत..........×..........
इस मुकद्दमें के मय सूद बशरह..........×..........फीसदी सलाना की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..........×..........को अदा करें।
मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31 माह 05 सन् 2024 को जारी की

उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

दस्तखत
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना।

| मुद्दई | रूपया | पै. | मुद्दायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा<br>स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प वजह सबूत<br>महनताना वकील<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | / | | स्टाम्प वकालतनामा<br>स्टाम्प अर्जी<br>महनताना वकील पर<br>खर्चा गवाहान<br>फीस कमिश्नर<br>बाबत इजराय हुक्मनामा<br>मुतफरिक | / | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.07 12:41:51 IST
Reason: SelfAttested

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।